बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

ज्ञाप सं0—प्र08—गो0आ0(शिवहर)—03/2025— **खाद्य, पटना/दिनांक—**

जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक—157 दिनांक—01.04.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी के स्तर से अनुशंसित एवं उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' में श्री झुन्नू मल्लिक, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर के विरूद्ध प्रतिवेदित है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा की गई शिकायत एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दायर वाद संख्या—95/2024 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने, अनुकम्पा आधारित जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक श्री अविनाश कुमार से आवेदन जाँच के क्रम में NR रशीद के नाम पर 22,000/— रूपये की राशि लिये जाने और इस संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के संतोषजनक नहीं पाये जाने, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक—09.09.2024 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिका—2 के आलोक में आपूर्ति निरीक्षक के लॉगिन से लगभग 5,000 लाभुकों द्वारा की गई e-KYC को भूलवश अस्वीकृत किये जाने के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किये जाने, पूर्व निर्धारित बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने तथा दिनांक—14.10.2024 का वेतन स्थगित किये जाने, राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदन के निष्पादन में बरती जा रही अनियमितता के लिए दिनांक—15.11.2024 को माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरनहिया की अनुपस्थिति विवरणी के अनुसार कुल—12 दिन अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के लिए माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, नये राशन कार्ड निर्गत हेतु अनुसंशित आवेदन पत्र में से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा Randomly जाँच में गंभीर अनियमितता पाये जाने और इस संबंध में दिनांक—22.02.2025 को पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने एवं ग्राम पंचायत दोस्तिया स्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मुकेश कुमार के गोदाम को रात्रि 8:00 बजे (दुकान संचालन अवधि के बाद) बिना अनुमति के गोदाम की जाँच करने तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने और इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त दुकान की जाँच में विक्रेता द्वारा भयादोहन की शिकायत करने के साथ—साथ दिनांक—28.02.2025 को उक्त विक्रेता के दुकान के पास लाभुकों/ग्रामीणों को जमा कर हंगामा करवाने तथा इसका विडियो सोशल मिडिया पर वायरल में संलिप्तता पाये जाने तथा आचरण एवं कार्यशैली सरकारी सेवक के प्रतिकूल होने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

इस प्रकार श्री झुन्नू मल्लिक द्वारा सरकारी कार्य में कर्त्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता/स्वेच्छाचारिता, वरीय पदाधिकारियों के निदेशों के निदेशों की अवहेलना एवं अवैध राशि की उगाही किये जाने जैसे आरोप प्रतिवेदित है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उक्त आरोप/आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री मल्लिक के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोप से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री झुन्नू मल्लिक से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि सात (07) दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मदों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्री झुन्नू मल्लिक को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोप के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन सात (07) दिनों के अन्दर तक नहीं प्राप्त होगा, तब निलंबन एवं विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर ले लिया जाएगा।

Signed by
Birendra Kumar Prasad
Date: 15-04-2025 18:01:37
(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि–1. श्री झुन्नू मल्लिक, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (**कुल–39 पृष्ठ**) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर/अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।